

(दो प्रतियों में भरा जाए)

सदस्यों के लिए ब्रॉडबैंड इन्टरनेट सेवाएं

आवास और दूरभाष सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 के अन्तर्गत संसद सदस्य के
टेलीफोन कनेक्शन में ब्रॉडबैंड इन्टरनेट सुविधाओं के प्रावधान हेतु आवेदन

प्रेषक

_____, संसद सदस्य
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/
भारत संचार निगम लिमिटेड
नई दिल्ली।

अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा के माध्यम से

महोदय,

कृपया निम्नलिखित टेलीफोनों में से किसी एक टेलीफोन में ब्रॉडबैंड इन्टरनेट सुविधाएं मुहैया करवाने की व्यवस्था करें:-

(निम्नलिखित में से एक में "सही" का निशान लगाए)

- (क) दिल्ली या नई दिल्ली में मेरे आवास स्थित मेरे कार्यालय में; अथवा
(ख) मेरे सामान्य निवास स्थान पर; अथवा
(ग) मेरे निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में मेरी पसंद के किसी स्थान पर; अथवा
(घ) मेरे निवास के राज्य में;

उपर्युक्त टेलीफोन का ब्योरा निम्नवत् है:-

टेलीफोन नम्बर_____

मकान नम्बर_____

कस्बा/ग्राम_____

ताल्लुका/तहसील_____

जिला_____

राज्य_____

2. मुझे ज्ञात है कि "प्रत्येक संसद सदस्य सचिवालय द्वारा प्रदत्त किसी एक लैन्डलाइन फोन पर 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड' अथवा 'भारत संचार निगम लिमिटेड' से अधिकतम 1500/- रुपये (पन्द्रह सौ रुपये) तक निशुल्क ब्रॉडबैंड सुविधा पाने का हकदार है जिसका भुगतान सचिवालय द्वारा सीधे 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड' अथवा 'भारत संचार निगम लिमिटेड' को किया जाता है।"

3. मैं, आवास और दूरभाष सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उपर्युक्त ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए राज्य सभा सचिवालय द्वारा भुगतान की जाने वाली अनुमेय राशि के अतिरिक्त दूरसंचार (म.टे.नि.लि./भा.सं.नि.लि.) से संबंधित देय राशि का पूर्ण भुगतान करने का वचन देता हूं।

4. मैं विद्यमान/नए लैन्डलाइन कनेक्शन पर ब्रॉडबैंड की सुविधा लेने के लिए लागू निबंधन और शर्तों का पालन करने का भी वचन देता हूं।

भवदीय,

(संसद सदस्य के हस्ताक्षर)

परिचय पत्र संख्या_____

दिनांक_____